बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सं0सं0–03 / उ0नि0 / योजना(ओ0प्रो0नीति)–02 / 2015

आदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–2060, दिनांक–11.06.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज / अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं आदि की प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा आवंटन सं0–1480, दिनांक–13.06.2018 द्वारा ₹18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र का आवंटन निर्गत है।

उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–5 के अनुसार उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी एवं भुगतान नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रारूप सूत्रण तैयार करने के क्रम में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में निदेशकों के साथ हुए विमर्श के बाद सभी विभागीय नीतिगत योजनाओं में सब्सिडी का भुगतान एक ही बजटशीर्ष यथाः–मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160 से किये जाने का निर्णय लिया गया। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजना अन्तर्गत अनुदान का भुगतान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत निर्धारित उदव्यय एवं बजट उपबंध से आवंटित राशि से की जा रही थी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–2060, दिनांक–11.06.2018 द्वारा निर्गत संब्सिडी मद की राशि की निकासी की शक्ति उद्योग निदेशक को प्रत्यायोजित करने के कारण खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत देय अनुदान की लम्बित राशि का भुगतान / निकासी होने में उत्पन्न कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए तत्काल निम्न व्यवस्था की जाती हैं :–

''खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत देय अनुदान की लम्बित दावों का भुगतान / निकासी भी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0 / –
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–..................... /   दिनांकः–..........................
सं0सं0–03 / उ0नि0 / योजना(ओ0प्रो0निति)–02 / 2015

प्रतिलिपि– सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0......

ज्ञापांकः–..................... /   दिनांकः–..........................

सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(ओ०प्रो०निति)–02 / 2015

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रधिकार, पटना / उद्योग निदेशक / निदेशक तकनीकी विकास / निदेशक, खा0 प्र0 / निदेशक, ह0 एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना / उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र / प्रशाखा पदा0, (बजट), उद्योग विभाग / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–3374 /   दिनांकः–01.10.18

सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(ओ०प्रो०निति)–02 / 2015

प्रतिलिपि– आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/10/18

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1/10/18

d-drive/all/new-yojna/sujeet/section-03/vikash–yojna-2015(new) 1099